

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 105/2021 GCMS 2021/430

वादीगण

1. नागुराम पुत्र भंवरलाल उम्र 52 वर्ष
2. नानुराम पुत्र लादुराम उम्र 34 वर्ष
3. ओमप्रकाश पुत्र लादुराम उम्र 29 वर्ष
4. गिरधारी पुत्र नाथु उम्र 45 वर्ष
5. किशनलाल पुत्र नाथु उम्र 35 वर्ष
6. तुलछीदेवी पत्नी स्व. श्री गोरधन उम्र 68 वर्ष
7. चुन्नीलाल पुत्र स्व. श्री गोरधन उम्र 44 वर्ष
8. कुन्दनमल पुत्र स्व. श्री गोरधन उम्र 42 वर्ष
9. भागीरथ पुत्र स्व. श्री गोरधन उम्र 28 वर्ष जाति समस्त कुम्हार निवासी ईदगाह के पास, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हुक्माराम पुत्र स्व. बिरदाराम
2. झमकुदेवी पत्नी स्व. बिरदाराम
3. सन्तोष पुत्री स्व. बिरदाराम
4. झुमली उर्फ सीतादेवी पुत्री स्व. बिरदाराम
5. तीजुदेवी पुत्री स्व. बिरदाराम
6. बुल्ली उर्फ सीतोदवी पुत्री स्व. बिरदाराम
7. मोटा उर्फ मंजु पुत्री स्व. बिरदाराम
8. नानुडी उर्फ मंजु पुत्री स्व. बिरदाराम
9. सोनू पुत्री कानाराम
10. चम्पा पुत्री कानाराम
11. कमल पुत्र कानाराम
12. मोहनलाल पुत्र कानाराम



**उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)**

13. शंकरलाल पुत्र कानाराम
14. गीता पत्नी कानाराम
15. लालाराम पुत्र भीवाराम
16. दुर्गादेवी पुत्री भीवाराम
17. सीताराम पुत्र टीकमचन्द
18. गोविन्द पुत्र टीकमचन्द
19. छोटी देवी पत्नी टीकमचन्द
20. प्रभुराम पुत्र पन्नाराम
21. हीराराम पुत्र पन्नाराम
22. भंवरीदेवी पत्नी पन्नाराम
23. मांगीलाल पुत्र सुखा
24. रामदेव पुत्र सुखा
25. छोटूराम पुत्र सुखा
26. गोपाललाल पुत्र सुखा जाति समस्त कुम्हार निवासीगण ईदगाह के पास, कुचमनसिटी जिला नागौर राज.
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज. (लैण्ड होल्डर)
28. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा— बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक :- 6.12.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1268 रकबा 1.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 1272 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 1281 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1282



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1285 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.36 हैक्टर कुल रकबा 5.22 हैक्टर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 27 की भूमि की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, जिसमें वादीगण संख्या 1 का 1/8 हिस्सा अर्थात् 0.6525 हैक्टर, वादी सं. 2 से 3 का 1/8 हिस्सा अर्थात् 0.6525 हैक्टर, एवं वादी सं. 4 से 5 का 1/5 हिस्सा अर्थात् 0.6525 हैक्टर, एवं वादी संख्या 6 से 9 का 1/8 हिस्सा अर्थात् 0.6525 हैक्टर है, पक्षकारान उपरोक्त भूमि में अपने-अपने हक हिस्से की भूमि पर हक हिस्सा अनुसार अलग-अलग काबिज है एवं मौके पर आपसी सुविधा अनुसार बंटवारा कर काबिज एवं काश्त कर रहे हैं, वादीगण का निम्नवत कब्जा काश्त है :-

खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा
नागुराम पुत्र भंवरलाल वादी सं. 1	1265	0.31 हैक्टर
	1268	0.3425 हैक्टर
नानुराम पुत्र लादुराम, ओमप्रकाश पुत्र लादुराम वादी सं. 2 व 3	1268	0.6325 हैक्टर
	1267	0.02 हैक्टर
गिरधारी पुत्र नाथु , किशनलाल पुत्र नाथु वादी सं. 4 व 5	1272	0.2805 हैक्टर
	1269	0.3600 हैक्टर
	1270	0.0122 हैक्टर
तुलछीदेवी पत्नी स्व. गोरधन, चुन्नीलाल पुत्र स्व. गोरधन, कुन्दनमल पुत्र स्व. गोरधन, भागीरथ पुत्र स्व. गोरधन वादी सं. 6 से 9	1272	0.1247 हैक्टर
	1269	0.07 हैक्टर
	1270	0.4578 हैक्टर

वादीगण के कब्जे अनुसार नजरी नक्शा बनाया गया है जो इस वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" है जिसे वाद का भाग समझा जावे, नजरी नक्शे में वादी सं. 1 का हक हिस्सा लाल रंग से, वादी सं. 2 व 3 का हिस्सा हरे रंग से, वादी संख्या 4 से 5 का हिस्सा पीला रंग से, वादी सं. 6 से 9 का हिस्सा नीले रंग से दर्शाया गया है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार काश्तकार है एवं बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाकर अलग होल्डिंग कायम करवाने के अधिकारी है, वादीगण ने प्रतिवादीगण को सहखातेदारान को भू-विभाजन विधिवत् रूप से करने हेतु कई मर्तबा कहा लेकिन प्रतिवादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने के इन्कार हो गये तथा बंटवारा कराये जाने से इन्कार कर दिया, इसलिए बंटवारा का वाद लाना आवश्यक हुआ है, वादीगण की इस्तदुआ है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण




उपखण्ड अधिकारी
[Signature]

इस आशय की फरमाई जावे कि कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1268 रकबा 1.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 1272 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 1281 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1285 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.36 हैक्टर कुल रकबा 5.22 हैक्टर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवार वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित विभाजन अनुसार वादीगण का बंटवारा करवाया जाकर (नजरी नक्शा परिशिष्ट "क" के अनुसार) वादीगण की अलग होल्डिंग कायम करवाकर वादीगण के नाम दर्ज फरमाई जावे, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त व अधिकार की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे तथा न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन स्वयं एवं परिवार सदस्य एवं प्रतिनिधिगण से तामिल होकर प्राप्त। आवाजे लगाई गई, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा चालू जमाबंदी की नकल सम्वत 2074-2077 प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में वादीगण की ओर से किसी प्रकार का शपथ-पत्र एवं बयान दर्ज नहीं करवाये गये। जमाबंदी नकल में पक्षकारान का हक हिस्सा निम्नवत दर्ज चला आ रहा है :-

		प्रपत्र पी-26 (सी) (देखिये नियम 153 ए)
जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)		
ग्राम का नाम :- कुचामनसिटी	अंतिम चौसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी	
पटवार हल्का :- कुचामनसिटी	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार	
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर	
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 154	
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 138	





उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)		प्रपत्र पी-26 (सी) (देखिये नियम 153 ए)
ग्राम का नाम :- कुचामनसिटी	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी	
पटवार हल्का :- कुचामनसिटी	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार	
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर	
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 154	
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 138	
काश्तकार का नाम:-		
1. औमप्रकाश पुत्र लादूराम हिस्सा- 1/16 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
2. कुन्दनमल पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/32 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. देह खातेदार		
3. कमल पुत्र कानाराम हिस्सा- 1/384 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
4. किशनलाल पुत्र नाथू हिस्सा- 1/16 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
5. गिरधारीलाल पुत्र नाथू हिस्सा- 1/16 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
6. गीतादेवी पत्नि कानाराम हिस्सा- 1/384 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
7. गोपाललाल पुत्र सुखा हिस्सा- 1/2088 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
8. गोविन्द पुत्र टीकमचन्द हिस्सा- 1/120 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
9. चुन्नीलाल पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/32 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. देह खातेदार		
10. चम्पा पुत्री विरदाराम हिस्सा- 1/384 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
11. छोटूराम पुत्र सुखा हिस्सा- 1/16 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
12. छोटीदेवी पत्नि टीकमचन्द हिस्सा- 1/120 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
13. झुमली उर्फ सीतादेवी पुत्री विरदाराम हिस्सा- 1/64 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
14. झिमकूदेवी पत्नि भीवाराम हिस्सा- 1/40 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
15. तुलछीदेवी पत्नि गोरधन हिस्सा- 1/32 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. देह खातेदार		
16. तीजूदेवी पत्नि विरदाराम हिस्सा- 1/64 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
17. दुगदिवी पुत्री भीवाराम हिस्सा- 1/40 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
18. नागूराम पुत्र भंवरलाल हिस्सा- 1/8 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
19. नानुडीऊर्फ मन्जू पुत्री विरदाराम हिस्सा- 1/64 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
20. नानूराम पुत्र लादूराम हिस्सा- 1/16 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
21. प्रभूराम पुत्र पन्नाराम हिस्सा- 1/120 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
22. बूली उर्फ सीतादेवी पुत्री विरदाराम हिस्सा- 1/64 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
23. भंवरदेवी पत्नि पन्नाराम हिस्सा- 1/120 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
24. भागीरथ पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/32 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. देह खातेदार		
25. मांगीलाल पुत्र सुखा हिस्सा- 1/16 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
26. मोटा उर्फ मन्जू पुत्री विरदाराम हिस्सा- 1/64 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
27. मोहनलाल पुत्र कानाराम हिस्सा- 1/384 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
28. रामदेव पुत्र सुखा हिस्सा- 1/16 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
29. लालाराम पुत्र भीवाराम हिस्सा- 1/40 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
30. शंकरलाल पुत्र कानाराम हिस्सा- 1/384 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
31. सन्तोष पुत्री विरदाराम हिस्सा- 1/64 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		
32. सीताराम पुत्र टीकमचन्द हिस्सा- 1/120 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार		



3
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

		जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)		प्रपत्र पी-26 (सी) (देखिये नियम 153 ए)		
ग्राम का नाम :- कुचामनसिटी	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी					
पटवार हल्का :- कुचामनसिटी	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार					
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर					
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 154					
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 138					
33. सोनू पुत्री विरदाराम हिस्सा- 1/384 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार						
34. हुक्माराम पुत्र विरदाराम हिस्सा- 1/64 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार						
35. हणमान पुत्र पेमाराम हिस्सा- 259/4176 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार						
36. हरिराम पुत्र पन्नाराम हिस्सा- 1/120 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार,						
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1265	0.3100	चाही A	0.3100	17.98	1267	स्वीकृत नामांतरकरण : 5279 14/09/2020 विरासत
1266	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			स्वीकृत नामांतरकरण : 5292 21/09/2020 हकत्याग
1267	0.0200	गै.मु.कुँआ	0.0200			स्वीकृत नामांतरकरण : 5303 15/10/2020 विरासत
1268	1.1900	चाही A	1.1900	69.02	1267	स्वीकृत नामांतरकरण : 5379 22/07/2021 हकत्याग
1269	0.4300	चाही A	0.4300	24.94	1267	
1270	0.4700	चाही A	0.4700	27.26	1267	
1272	0.5200	चाही A	0.5200	30.16	1267	
1281	1.0500	चाही 1	1.0500	56.70	1283	
1282	0.3000	चाही 1	0.3000	16.20	1283	
1283	0.0200	गै.मु.कुँआ	0.0200			
1284	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200			
1285	0.0200	गै.मु.ढाणी	0.0200			
1286	0.4700	चाही 1	0.4700	25.38	1283	
1287	0.3600	चाही 1	0.3600	19.44	1283	
कुल खसरे - 14	5.2200		5.2200	287.0800		

वकील वादीगण की एक-पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादीगण की भूमि अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है, जिसका उन्होंने विभाजन चाहा है, सहखातेदारान/प्रतिवादीगण का बावजूद इतला अनुपस्थित रहना इस बात को दर्शाता है कि वे वादीगण की भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते तथा वे भी अपने हक हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काशत करते आ रहे हैं। वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त भूमि का नजरी नक्शा परिशिष्ट "क" इस बात को साबित करता है कि वादीगण इस्तदुआ अनुसार अपने-अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काशत करते आ रहे हैं तथा अपना खाता विभाजन कराकर सेपरेट



उपस्थित अधिकारी

होलिडिंग कायम करवाना चाहते हैं जिससे किसी प्रकार के ऋण, भूमि रूपान्तरण एवं पट्टा बनवाये जाने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकें। वादीगण अधिवक्ता की बहस एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वादीगण के प्रकरण में बंटवारा स्कीम नहीं मंगवाई जाकर नजरी नक्शा अनुसार वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जा सकता है। अतः वाद वादीगण अंतिम रूप से नजरी नक्शा अनुसार काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1268 रकबा 1.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 1272 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 1281 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1285 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.36 हैक्टर कुल रकबा 5.22 हैक्टर में वादीगण को नजरी नक्शा एवं निम्नवत टेबल में अंकित हक-हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा शेष खसरा एवं शेष रकबा में से वादीगण का नाम हटाया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा :-

खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा
नागुराम पुत्र भंवरलाल वादी सं. 1	1265	0.31 हैक्टर
	1268	0.3425 हैक्टर
नानुराम पुत्र लादुराम, ओमप्रकाश पुत्र लादुराम वादी सं. 2 व 3	1268	0.6325 हैक्टर
	1267	0.02 हैक्टर
गिरधारी पुत्र नाथु , किशनलाल पुत्र नाथु वादी सं. 4 व 5	1272	0.2805 हैक्टर
	1269	0.3600 हैक्टर
	1270	0.0122 हैक्टर
तुलछीदेवी पत्नी स्व. गोरधन, चुन्नीलाल पुत्र स्व. गोरधन, कुन्दनमल पुत्र स्व. गोरधन, भागीरथ पुत्र स्व. गोरधन वादी सं. 6 से 9	1272	0.1247 हैक्टर
	1269	0.07 हैक्टर
	1270	0.4578 हैक्टर


नजरी नक्शा अनुसार एवं उक्त टेबल अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलादार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा पर देय




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।
तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 6-12-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)



डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 105/2021 GCMS 2021/430

वादीगण

1. नागुराम पुत्र भंवरलाल उम्र 52 वर्ष
2. नानुराम पुत्र लादुराम उम्र 34 वर्ष
3. ओमप्रकाश पुत्र लादुराम उम्र 29 वर्ष
4. गिरधारी पुत्र नाथु उम्र 45 वर्ष
5. किशनलाल पुत्र नाथु उम्र 35 वर्ष
6. तुलछीदेवी पत्नी स्व. श्री गोरधन उम्र 68 वर्ष
7. चुन्नीलाल पुत्र स्व. श्री गोरधन उम्र 44 वर्ष
8. कुन्दनमल पुत्र स्व. श्री गोरधन उम्र 42 वर्ष
9. भागीरथ पुत्र स्व. श्री गोरधन उम्र 28 वर्ष जाति समस्त कुम्हार निवासी ईदगाह के पास, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हुक्माराम पुत्र स्व. बिरदाराम
2. झमकुदेवी पत्नी स्व. बिरदाराम
3. सन्तोष पुत्री स्व. बिरदाराम
4. झुमली उर्फ सीतादेवी पुत्री स्व. बिरदाराम
5. तीजुदेवी पुत्री स्व. बिरदाराम
6. बुल्ली उर्फ सीतोदवी पुत्री स्व. बिरदाराम
7. मोटा उर्फ मंजु पुत्री स्व. बिरदाराम
8. नानुडी उर्फ मंजु पुत्री स्व. बिरदाराम
9. सोनू पुत्री कानाराम
10. चम्पा पुत्री कानाराम
11. कमल पुत्र कानाराम
12. मोहनलाल पुत्र कानाराम
13. शंकरलाल पुत्र कानाराम
14. गीता पत्नी कानाराम
15. लालाराम पुत्र भीवाराम
16. दुर्गादेवी पुत्री भीवाराम
17. सीताराम पुत्र टीकमचन्द
18. गोविन्द पुत्र टीकमचन्द
19. छोटी देवी पत्नी टीकमचन्द
20. प्रभुराम पुत्र पन्नाराम
21. हीराराम पुत्र पन्नाराम
22. भंवरीदेवी पत्नी पन्नाराम
23. मांगीलाल पुत्र सुखा
24. रामदेव पुत्र सुखा
25. छोटूराम पुत्र सुखा
26. गोपाललाल पुत्र सुखा जाति समस्त कुम्हार निवासीगण ईदगाह के पास, कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज. (लेण्ड होल्डर)
28. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दावा- बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री अशोकपुरा अधिवक्ता हाजिरी मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1268 रकबा 1.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 1272 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 1281 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1285 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.36 हैक्टर कुल रकबा 5.22 हैक्टर में वादीगण को नजरी नक्शा एवं निम्नवत टेबल में अंकित हक-हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा शेष खसरा एवं शेष रकबा में से वादीगण का नाम हटाया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा :-

खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा
नागुराम पुत्र भंवरलाल वादी सं. 1	1265	0.31 हैक्टर
	1268	0.3425 हैक्टर
नानुराम पुत्र लादुराम, ओमप्रकाश पुत्र लादुराम वादी सं. 2 व 3	1268	0.6325 हैक्टर
	1267	0.02 हैक्टर
गिरधारी पुत्र नाथु, किशनलाल पुत्र नाथु वादी सं. 4 व 5	1272	0.2805 हैक्टर
	1269	0.3600 हैक्टर
	1270	0.0122 हैक्टर
तुलछीदेवी पत्नी स्व. गोरधन, चुन्नीलाल पुत्र स्व. गोरधन, कुन्दनमल पुत्र स्व. गोरधन, भागीरथ पुत्र स्व. गोरधन वादी सं. 6 से 9	1272	0.1247 हैक्टर
	1269	0.07 हैक्टर
	1270	0.4578 हैक्टर

नजरी नक्शा अनुसार एवं उक्त टेबल अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलादार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निज मुबलिंग बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 8 माह 12 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागुराम)

मुदई	रुपयें	पैसे	मुदायलय	रुपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



